प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 102/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया।

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2019: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज हितधारकों की टिप्पणियों के लिए ड्रॉफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया।

2. भादूविप्रा ने 15.06.2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष विनियम, 2007 (2007 का 6) अधिसूचित किया था जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं की अदावी राशि को जमा करने और दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष के रखरखाव के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान करता है। टीसीईपीएफ विनियम, 2007 के विनियम 3 के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं से प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित या प्रविरत अधीन सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिसूचित दूरसंचार सेवा की दरों से अधिक दर पर ली गई राशि, जिसे वे उपभोक्ताओं को वापस करने में सक्षम नहीं हैं और उनके पास यह अदावी राशि के रूप में है, इसे निर्धारित समयसीमा के भीतर कोष में स्थानांतरित करना होगा। इसके अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाता इस तरह की राशि को कोष में जमा करते रहे हैं।

3. यह देखा गया है कि ऐसी राशि को जमा करने में सेवा प्रदाताओं के बीच एकरूपता नहीं है, जिसे वे उपभोक्ताओं को वापस नहीं कर पा रहे हैं। प्राधिकरण का मानना है कि किसी भी अस्पष्टता को दूर करने और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त प्रभार, प्रतिभूति जमा, विफल एक्टीवेशन का शुल्क या उपभोक्ता से जुड़े किसी भी शुल्क की अदावी उपभोक्ता राशि को जमा करने के संबंध में सभी सेवा प्रदाताओं में एकरूपता लाने के लिए के लिए विनियम में संशोधन किया जा सकता है।

4. ड्राफ्ट विनियम भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 18 नवंबर, 2019 तक उपलब्ध रहेगा।

5. किसी भी स्पष्टीकरण के श्री संजीव बंजाल, सलाहकार (सीएएंडआईटी), भादूविप्रा से टेलीफोनः 011-23210990 या ईमेल आईडीरु advisorit@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।